

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2026 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 30, 1948)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) सुश्री निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2007 की धारा 20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-2026 पटल पर रखेंगी.

(2) श्री नारायण सिंह कुशवाह, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) के तहत बनाये गये मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 की कंडिका 56 की उप कंडिका (1) की अपेक्षानुसार आयुक्त, दिव्यांगजन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-2026 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री –

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025, एवं

(ख) विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार निम्न अधिसूचनाएं :-

- (i) 125/मप्रविनिआ/2026 दिनांक 20 जनवरी, 2026,
- (ii) 401/मप्रविनिआ/2026 दिनांक 12 मार्च, 2026, तथा
- (iii) 888/मप्रविनिआ/2026 दिनांक 27 मई, 2026

पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राकेश शुक्ला, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री पर्यटन, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित, भोपाल का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021, एवं

(ख) नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री अजय विश्नोई, सदस्य, जबलपुर जिले के मझौली विकासखण्ड में शासकीय उपार्जन योजना के तहत धान व गेहूं की राशि का भुगतान न किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, परासिया के ग्राम जमुनिया जेटू स्थित ग्रीन लाईट एसीसी ब्लाक्स फैक्ट्री में हुये विस्फोट में घायल मजदूरों को कम्पेंसेशन राशि का भुगतान की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 23-करैरा (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री रमेश प्रसाद खटीक एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 40-नरयावली (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, इंजी. प्रदीप लारिया को विधान सभा के जुलाई, 2026 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

- (1) इंजी. प्रदीप लारिया , सभापति, याचिका एवं अभ्यावेदन समिति का याचिकाओं से संबंधित बारहवां से इक्कीसवां एवं अभ्यावेदनों से संबंधित पैंतालीसवां से पचासवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.
- (2) श्री रमेश मेन्दोला, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का षष्ठम, सप्तम एवं अष्टम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.
- (3) श्रीमती अर्चना चिटनीस, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पंचम से उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.
- (4) श्री हरिशंकर खटीक, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का तीसवां से अड़तालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.
- (5) श्रीमती ललिता यादव, सभापति, महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति का कार्यान्वयन से संबंधित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.
- (6) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति, स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.
- (7) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सभापति, कृषि विकास समिति का तृतीय, चतुर्थ प्रतिवेदन तथा कार्यान्वयन से संबंधित सप्तम, अष्टम, नवम एवं दशम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.
- (8) श्री महेन्द्र हार्डिया, सभापति, पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का नवम एवं दशम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य, रीवा जिले की ग्राम पंचायत अतरैला 12 चाक सोनौरी मार्ग से लगे हुए ढर्रे को पक्का रोड निर्माण कराये जाने,
- (2) इंजीनियर हरिबाबू राय, सदस्य, अशोक नगर जिले के ग्राम खजूरिया सूबेदार से दियाधरी तक मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (3) श्री पंकज उपाध्याय, सदस्य, मुरैना जिले के पर्वतपुरा से बीहड़ माता मंदिर तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (4) श्री बाला बच्चन, सदस्य, बड़वानी जिले के राजपुर में भोखाडा व्हाया घुसगांव से नांगलवाड़ी खुर्द तक मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान कराये जाने,
- (5) श्री महेन्द्र नागेश, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के वि.स. क्षेत्र गोटेगांव अंतर्गत सभी जर्जर एवं पुरानी विद्युत लाईनों का सर्वे कर उन्हें चरणबद्ध रूप से नवीन लाईनों से प्रतिस्थापित किये जाने,
- (6) श्री विश्वामित्र पाठक, सदस्य, सिंगरौली जिले के वि.ख. देवसर अंतर्गत खडौरा, जुड़वार एवं सरौंधा हायर सेकेण्ड्री नवीन भवन की स्वीकृति प्रदान कराये जाने,
- (7) श्री अभय मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले की ग्राम पंचायत करमई खारा मोड से जरमई रीवा पहुंच मार्ग का डामरीकरण एवं पुल निर्माण कराये जाने,
- (8) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य, धार जिले के कुक्षी अंतर्गत ग्राम पंचायत गिरवान्या में पुलिया निर्माण कराये जाने,
- (9) श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा अंतर्गत ग्राम वोहानी शास. कृषि राघव उ.मा.विद्यालय का उन्नयन कृषि महाविद्यालय में किये जाने,
- (10) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत माल पीथा अंतर्गत अंजनी माता मंदिर से मालपीथा गांव तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (11) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य, मऊगंज जिले के ग्राम पटेहरा में पी.सी.सी.रोड का निर्माण कराये जाने,
- (12) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम गोबरी में शांतिधाम के पास बांध निर्माण कराये जाने,
- (13) श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य, अलीराजपुर जिले के ग्राम उमरबाडा के इमली फा. से गुमान फा. तक रोड निर्माण कराये जाने,
- (14) श्री विपीन जैन, सदस्य, मंदसौर जिले के अभिनंदन क्षेत्र में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने,
- (15) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य, सागर शहर के संत रविदास वार्ड अंतर्गत आई.टी.आई. के सामने विद्यासागर कालोनी में सी.सी.रोड का निर्माण कराये जाने,
- (16) श्री अनिल जैन, सदस्य, निवाड़ी जिला मुख्यालय में शासकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने,

(17) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य, अनूपपुर जिले में संचालित आयुर्वेदिक औषधालयों का उन्नयन कर नवीन भवनों का निर्माण कराये जाने,

(18) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य, धार जिले की ग्राम पंचायत पेटलावद मजरा बयडीपुरा गोयाबाबा चौराहा से चामुण्डा माता मंदिर तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(19) श्री नीरज सिंह ठाकुर, सदस्य, जबलपुर शहर के बरगी में बबूल के वृक्षों की कटाई की अनुमति प्रदान करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये जाने,

(20) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले की नगर पंचायत चांदामेटा मुख्य मार्ग से ग्राम गाजनडोह तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने,

(21) श्री भैरो सिंह बापू, सदस्य, आगर-मालवा जिले की तहसील सुसनेर के ग्राम श्यामपुरा में श्री कालवा बालाजी हनुमान मंदिर को पर्यटक स्थल घोषित कराये जाने,

(22) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के जावरा में कृषि महाविद्यालय को प्रारंभ करने की स्वीकृति दी जाने,

(23) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम सोनरवार से कोटा पहुंच मार्ग पर कोलदा नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(24) श्री विक्रम सिंह, सदस्य, सतना जिले के रामपुर बाघेलान शहर के मार्ग को फोरलेन, डिवाइडर, सर्विस लेन सहित निर्माण कराये जाने,

(25) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के खरगापुर अंतर्गत नवीन जे.एम.एफ.सी. (न्यायालय) प्रारंभ किये जाने,

(26) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम आसपुरा से ग्वालदेविया तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(27) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के सरदारपुर अंतर्गत सिंचाई हेतु कोटेश्वरी बैराज निर्माण की स्वीकृति दिये जाने,

(28) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम अरनिया कलां एवं कनाडिया मार्ग पर कांचमिरी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(29) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम पंचायत नरवर में काठियाबंधान मार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(30) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम भण्डारदा में क्षतिग्रस्त पुलिया का नवीन निर्माण कराये जाने,

(31) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम कुम्हारी से मोहगांव होते हुये मानपुर पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने,

(32) श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम ककरई से धौरिया तक रोड स्वीकृत कराये जाने,

(33) श्री केशव देसाई, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम सियाकुंडल से श्री हनुमान मंदिर दुमेल घाट तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने,

(34) श्री मोहन सिंह राठौर, सदस्य, ग्वालियर जिले के ग्राम सिंधारन से पचौरा मार्ग पर सूखा नाले पर पुल निर्माण कराये जाने,

(35) श्री सुरेश राजे, सदस्य, ग्वालियर जिले के डबरा अंतर्गत ग्राम पंचायत मकोडा की नाथ कालोनी में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य स्वीकृत कराये जाने,

(36) श्री मोंटू सोलंकी, सदस्य, बड़वानी जिले के सेंधवा स्थित छात्रावासों में सीटों की क्षमता बढ़ाये जाने,

(37) श्री गौरव सिंह पारधी, सदस्य, बालाघाट जिले के कटंगी के ग्राम राजेन्द्र पटेल जी के खेत के पास पुलिया निर्माण कराये जाने,

(38) श्रीमती प्रियंका पैची, सदस्य, गुना जिले के चाचौड़ा अंतर्गत हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन कराये जाने,

(39) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम सापापार से चौड़ा-दिघौरी मार्ग निर्माण कराये जाने,

(40) श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य, बालाघाट जिले के शा.मा.शाला भवन बिटोड़ी वि.ख. खैरलांजी की बाउण्ड्रीवाल निर्माण कराये जाने,

(41) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में अंचल संपत्ति की गार्ड लाइन एवं रजिस्ट्री शुल्क की विसंगतिपूर्ण बढ़ोत्तरी वापस कराये जाने,

- (42) श्रीमती छाया गोविन्द मोरे, सदस्य, खण्डवा जिले के टारली से डोगरगांव मार्ग स्थित मोती नाले पर पुल निर्माण कराये जाने,
- (43) श्री मथुरालाल डामर, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम इटावा माताजी में नवीन आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
- (44) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर शहर के वार्ड क्र.19 अंतर्गत गायत्री विहार, जडेरूआ गेट, पिंटू पार्क, गली.नं 01 में अमृत योजना के तहत पानी की लाईन डाले जाने,
- (45) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के नरयावली अंतर्गत ग्राम सानौधा में खेल मैदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
- (46) श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य, ग्वालियर जिले की ग्राम पंचायत पारसेन हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (47) श्री राजेश कुमार वर्मा, सदस्य, पन्ना जिले की ग्राम तिदुनहाई में देवेन्द्रनगर-सलेहा मुख्य मार्ग स्वामीदीन बागरी के खेत तक डब्लू.वी.एम. सड़क निर्माण कराये जाने,
- (48) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम डुंगरापुजा में नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,
- (49) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर, सदस्य, सीहोर जिले के आष्टा अंतर्गत आदर्श कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (50) श्री राजेश कुमार शुक्ला, सदस्य, छतरपुर जिले के बिजावर अंतर्गत ग्राम डाही में बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने,
- (51) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम चितावली के जाटव मोहल्ले में चार खंबे की विद्युत लाईन एवं 63 क्षमता का विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने,
- (52) श्री सुनील उईके, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के ग्राम हिरदागढ़ कन्हान नदी में लोहे की पुलिया का निर्माण कराये जाने,
- (53) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के सिविल अस्पताल सिरोंज में डायलिसिस एवं सोनोग्राफी मशीन का संचालन प्रारंभ कराये जाने,
- (54) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, मैहर जिले के ग्राम डेंगरहा - हिनौती पहुंच मार्ग, मढावल नदी (सेमरा घाट) में एक पुल का निर्माण कराये जाने,
- (55) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य, कटनी जिले के बहोरीबंद अंतर्गत ग्राम सुपेली से सिजहरी जाने वाले कच्चे मार्ग को पक्का निर्माण कराये जाने,
- (56) श्री सचिन बिरला, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम ढसगांव से नाना गोया होते हुए ग्राम छापरा नहर तक पक्का डामरीकरण रोड का निर्माण कराये जाने,
- (57) श्री सिद्धार्थ तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम बराह में टमस नदी पर नहर के किनारे से केचुहा तक पुल निर्माण कराये जाने,
- (58) श्री भगवानदास सबनानी, सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्र. 47 अंतर्गत श्याम नगर बस्ती में पीने के पानी की लाईन को सीवेज लाईन से पृथक कराये जाने,
- (59) श्रीमती कंचन मुकेश तनवे, सदस्य, खण्डवा जिले के आनंद नगर वार्ड क्र. 50 में रोड का डामरीकरण कराये जाने,
- (60) श्री केदार चिड़ाभाई डावर, सदस्य, खरगोन जिले के भगवानपुरा अंतर्गत ग्राम भातुड से सेजला तक पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (61) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य, रायसेन जिले के बेगमगंज अंतर्गत ग्राम टेकापार खुर्द से ढिलवार तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (62) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम सोनपुरा से मक्तापुर सड़क मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (63) श्री वीरसिंह भूरिया, सदस्य, झाबुआ जिले के ग्राम पलाशडोर अंतर्गत तलावड़ी फलिया में ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत बिजली व्यवस्था कराये जाने,
- (64) श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य, मुरैना जिले के बानमोर नगर पंचायत में स्टेडियम निर्माण कराये जाने,
- (65) श्री बृज बिहारी पटैरिया, सदस्य, सागर जिले के देवरी एवं गौर झामर के स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कराये जाने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. वर्ष 2026-2027 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), वर्ष 2026-2027 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित
समय

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

- 2 घंटे** (1) श्री गौतम टेडवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत), प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 (क्रमांक 12 सन् 2026) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
- 1 घण्टा** (2) श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
- 1 घण्टा** (3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2026 (क्रमांक 17 सन् 2026) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
- 1 घण्टा** (4) श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत), प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 18 सन् 2026) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.
- 30 मि.** (5) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
- 1 घण्टा** (6) श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
- 30 मि.** (7) श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा), प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 (क्रमांक 14 सन् 2026) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
- 30 मि.** (8) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर), प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक : 20 जुलाई, 2026

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.